ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

पत्रांकः—ग्रे.नो./संस्था/2018/7778
दिनांक 19/7/2018

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 112वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.07.2018 में मद संख्या 112/10 में प्राधिकरण की वाणिज्यक, संस्थागत, आई.टी. एवं औद्योगिक परिसम्पत्तियों में दस वर्ष के उपरान्त वार्षिक/एकमुश्त लीजरेन्ट में 50 प्रतिशत बढोत्तरी अनुमन्य किये जाने में और स्पष्टता रखने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव अनुमोदित के आलोक में प्राधिकरण की 112वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.07.2018 में लिये गये निर्णय के क्रम में वर्तमान में प्रचलित वाणिज्यक, संस्थागत, आई.टी. एवं औद्योगिक परिसम्पत्तियों में दस वर्ष के उपरान्त वार्षिक/एकमुश्त लीजरेन्ट में 50 प्रतिशत बढोत्तरी अनुमन्य किये जाने की नीति को और स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती हैः—

1. ऐसे आवंटियों से वार्षिक लीज रेन्ट में प्रत्येक 10 वर्ष के उपरान्त 50 प्रतिशत की बढोत्तरी करके लीज रेन्ट लिया जायेगा। बढा हुआ लीजरेन्ट उस तिथि से देय होगा जिस तिथि पर लीजडीड कराये हुए 10 वर्ष की अवधि पूर्ण हो गयी है। जिन आवंटियों को लीजडीड कराये हुए 10 वर्ष से अधिक हो गये है तथा वर्तमान तक वार्षिक लीजरेन्ट का भुगतान कर दिया है ऐसे आवंटियों से 10 वर्ष के उपरान्त की अवधि का बढे हुए लीज रैन्ट के अनुसार Difference राशि ली ली जाये, ऐसे आवंटियों से दण्ड ब्याज लिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। यही व्यवस्था सभी उप पटटा धारको पर भी लागू होगी।
2. भविष्य में जब भी लीजडीड निष्पादन से 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होगी एसी तिथि से लीज रैन्ट में 50 प्रतिशत की बढोत्तरी मानी जाऐगी।
3. लीज रैन्ट बढोत्तरी के फलस्वरूप सप्लीमेंट्री लीजडीड निष्पादित करायी जायेगी।
4. यदि कोई आवंटी 10 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त एकमुश्त लीज रैन्ट भुगतान करने का विकल्प लेता है, तो एकमुश्त लीजरैन्ट का भुगतान/गणना बढी हुई दरों पर की जायेगी।
5. ऐसे आंवटी जिन्होने 10 वर्ष के उपरान्त लीजरेन्ट में 50 प्रतिशत बढोत्तरी की नीति के अनुमोदन की तिथि 22.06.2012 से पूर्व एक मुश्त लीजरैन्ट जमा कराने का विकल्प लेते हुए धनराशि जमा करा दी है चाहें वो मूल लीज की प्रथम 10 वर्ष के बाद एक मुश्त का विकल्प लिया हो उस पर पूर्व नीति ही लागू मानी जायेगी।

उपरोक्त आदेश प्राधिकरण की 112वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.07.2018 में मद संख्या 112/10 में अनुमोदित प्रस्ताव के क्रम में जारी किये जा रहे है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(डा0 विभा चहल)
विशेष कार्याधिकारी

प्रतिलिपि —
1. निजी सचिव को अध्यक्ष महोदय के संज्ञानार्थ ।
2. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ ।
3. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (टी./जी. को सूचनार्थ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष
5. उप महाप्रबन्धक (उद्योग)/वरिष्ठ कार्यपालक (वाणिज्यक)
6. प्रभारी (संस्थागत/आई.टी.)

विशेष कार्याधिकारी